प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

दिनांक- 01.10.2019 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य।

थाना तरयासुजान-

दिनांक 11.04.2019 की रात्रि करीब 10.00 बजे थाना क्षेत्र तरयासुजान अन्तर्गत तलवा चट्टी स्थित देशी शराब की दुकान के मालिक तारकेश्वर गुप्ता की लूट के उद्देश्य में सफल न होने पर बदमाशो द्वारा कोटवा गुलाब राय के पास नहर पुल से कुछ पहले चाकू मारकर हत्या कर दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना तरयासुजान पर वादी श्री मोती लाल गुप्ता पुत्र तपेशर गुप्ता निवासी सरयाखुर्द थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0 208/19 धारा 302,393,120बी भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज के नेतृत्व में घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर आवश्यक निर्देश दिये गये थे। उक्त अभियोग में प्रकाश में आया अभियुक्त **गौतम यादव पुत्र सुरेश यादव सा0 बाघचौर थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर** जो लगातार फरार चल रहा था तथा जिसकी गिरफ्तारी हेतू रुपये-25000/- का पुरस्कार भी घोषित किया गया था। पुरस्कार घोषित अभियुक्त गौतम यादव उपरोक्त को आज दिनांक 01.10.2019 को तरया सुजान रेलवे स्टेशन से समय 03.20 बजे भोर में पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी। अभियुक्त गौतम यादव के पास से एक अदद अबैध तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर की बरामदगी के आधार पर थाना तरयासुजान पर मु0अ0सं0 451/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त गौतम यादव के पास से बरामद आधार कार्ड व मोबाईल फोन के सम्बन्ध में गहराई से पूछताछ व छानबीन पर अभियुक्त द्वारा थाना क्षेत्र रामकोला कस्बा के चीनी मिल के पास से स्थित बैंक से पैसा निकालकर ले जाते समय सत्तन नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर देने तथा थाना क्षेत्र कसया अन्तर्गत विगत दिनांक 23.09.2019 को सुपारी लेकर जापानी मन्दिर कुशीनगर बुद्धा मार्ग के सामने होटल व्यवसायी जितेन्द्र गुप्ता निवासी बुद्धनगरी कुशीनगर कसया की गोली मारकर हत्या करने के प्रयास सम्बन्धि घटना कारित करने की बात स्वीकार किया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

गौतम यादव पुत्र सुरेश यादव साकिन बाघचौर थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय-

तरया सुजान रेलवे स्टेशन दिनांक 01.10.2019 समय 3.20 बजे प्रातः।

बरामदगी का विवरण-

1.थाना रामकोला के मु0अ0सं0 242/19 धारा 302 भादवि के घटना में प्रयुक्त एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर।

2.थाना रामकोला के मु0अ0सं0 242/19 धारा 302 भादवि की घटना से सम्बंधित मृतक सत्तन का आधार कार्ड।

3.सुपारी लेकर हत्या के प्रयास में कसया थाना क्षेत्र के बुद्धा मार्ग पर होटल व्यवसायी जितेन्द्र गुप्ता की हत्या के प्रयास से सम्बंधित घटना में प्रयुक्त एन्ड्रायड मोबाइल फोन।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 208/19 धारा 302/393/120बी भादवि0 थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
2.मु0अ0स0 280/19 धारा 41/411 भादवि0 थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
3.मु0अ0स0 281/19 धारा 307/35/54 भादवि0 थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
4.मु0अ0स0 272/19 धारा 323/325/308/504/506 भादवि0 थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
5.मु0अ0स0 242/19 धारा 302 भादवि0 थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
6.मु0अ0स0 451/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
7.मु0अ0स0 582/19 धारा 307,504,506,120बी,34 भादवि0 थाना कसया जनपद कुशीनगर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री राहुल कुमार सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
2.उ0नि0 श्री राघवेन्द्र सिहं थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
3.का0 अमित कुमार मोदनवाल थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
4.का0 राकेश यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर।

थाना कसया-

दिनांक 23.09.2019 को समय 18.20 बजे जापानी मन्दिर कुशीनगर बुद्धा मार्ग के सामने थाना क्षेत्र कसया अन्तर्गत होटल व्यवसायी श्री जितेन्द्र गुप्ता निवासी बुद्धनगरी कुशीनगर थाना कसया की अपाची सवार दो अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के प्रयास की घटना के सम्बन्ध में वादी श्री अभिषेक गुप्ता पुत्र सुनील गुप्ता निवासी बुद्ध नगरी वार्ड नं0 21 कुशीनगर थाना कसया जनपद कुशीनगर की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कसया में मु0अ0सं0 582/019 धारा 307,504,506,120बी,34 भा0द0वि0 बनाम दो बदमाश अज्ञात के विरुध्द पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री विनोद कुमार मिश्र द्वारा घटना स्थल पर तत्काल पहुँच कर मुकदमा घटना के अनावरण तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर आवश्यक निर्देश दिये गये थे। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के कुशल पर्यवेक्षण में गठित टीम द्वारा स्वाट व सर्विलांस टीम के सहयोग से मुखबीरी सूचना पर बुद्धा मन्दिर कुशीनगर के पास से मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त **राहुल श्रीवास्तव पुत्र स्व0 राजेन्द्र लाल निवासी पिपरा कनक थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर** को आज दिनांक 1.10.2019 को समय 9.10 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त राहुल श्रीवास्तव उपरोक्त द्वारा दिनांक 17.8.2019 को लोटस निक्को होटल कुशीनगर में घुस कर होटल प्रबन्धक से मार पीट किये जाने की घटना की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना कसया पर मु0अ0सं0 496/19 धारा 323,452 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था।

घटनास्थल व गिरफ्तारी का समय– कुशीनगर बुद्धा मन्दिर के पास,
दि0घ0 01.10.2019 समय 9.10 बजे

गिरफ्तार अभियुक्त का नामः-

राहुल श्रीवास्तव पुत्र स्व0 राजेन्द्र लाल निवासी पिपरा कनक थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर।

पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री विशाल सिंह थाना कसया जनपद कुशीनगर
2.उ0नि0 उमेश कुमार स्वाट टीम कुशीनगर
3.हे0का0 सुशील सिंह सर्विलांस सेल कुशीनगर
4.का0 मनवेन्द्र सिंह थाना कसया जनपद कुशीनगर

5.का0 अमित वर्मा थाना कसया जनपद कुशीनगर
6.का0 रामबाबूथाना कसया जनपद कुशीनगर
7.का0 अशोक सिंह स्वाट टीम कुशीनगर
8.का0 रणजीत यादव स्वाट टीम कुशीनगर
9.का0 अंकित सिंह स्वाट टीम कुशीनगर
10.का0 शिवानन्द सिंह स्वाट टीम कुशीनगर
11.का0 चन्द्रभान वर्मा सर्विलांस सेल कुशीनगर
12.का0 आतिश सर्विलांस सेल कुशीनगर

थाना खड्डा-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री विनोद कुमार मिश्र के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में लुटेरों, ड़कैतों, पशु तस्करों, वाहन चोरों व पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुध्द चलाये जा रहे अभियान के तहत मुखबीर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक खड्डा श्री रामअशीष सिंह यादव व थानाध्यक्ष हनुमानगंज श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी द्वारा संयुक्त टीम बनाकर वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधी **नागेन्द्र उर्फ गोलई पुत्र कोदई सा0 छपिया थाना खड्डा जनपद कुशीनगर** को भुजौली मौड़ से दिनांक 30.09.2019 को समय 19.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त थाना खड्डा के मु0अ0सं0 137/18 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट मे वांछित था। अभियुक्त नागेन्द्र उर्फ गोलई पुत्र कोदई उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु दिनांक 02.09.2019 को **रुपया 10000/- का पुरस्कार** घोषित किया गया था।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 137/18 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैगेस्टर एक्ट बनाम नागेन्द्र उर्फ गोलई पुत्र कोदई सा0 छपिया थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
2.मु0अ0सं0 152/17 धारा 379,411 ipc व 26,41,42,52 भा0 वन अधि0
3.मु0अ0सं0 200/17 धारा 379,411 ipc व 26,41,52 भा0 वन अधि0 व 3/28 ट्राजिट एक्ट

गिरफ्तारी टीम –
1.प्रभारी निरीक्षक श्री रामअशीष सिंह यादव
2.थानाध्यक्ष हनुमानगंज महेन्द्र चतुर्वेदी
3.उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह
4.उ0नि0 नन्दा प्रसाद
5.उ0नि0 रत्नेश कुमार मौर्या
6.हे0का0 कमलेश सिंह
7.का0 उमाशंकर यादव
8.का0 सुनील ग़ादव
9.का0 अभिषेक मौर्या

गुमशुदा बालक की बरामदगी-

थाना कप्तानगंज

ग्राम विशुनपुरा पो0 चिउरापाली थाना कप्तानगंज निवासिनी बिन्दू देवी पत्नी भरत प्रजापति द्वारा दिनांक 09.09.2019 को थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गयी की मेरा लड़का विपिन प्रजापति उम्र 14 वर्ष दिनांक 07.09.2019 को सुबह स्कूल जाने के लिए निकला था वापस घर नही आया है । उक्त तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 237/19 धारा 363 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात के पंजीकृत कर थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा लड़के की तलाश शुरु की गयी ।तलाश मे पता चला कि लड़का अपने दोस्तो के साथ मुम्बई चला गया था । जिसको कप्तानगंज पुलिस के अथक प्रयास से उक्त बालक को सकुशल बरामद कर उसके परिजनो को सुपुर्द किया गया ।

बरामद करने वाली टीम का विवरण-
1.प्रभारी निरीक्षक श्री अनुज कुमार सिंह
2.उ0नि0 श्री विजयशंकर सिंह
3.का0 राकेश कुमार सिंह
4.का0 सत्येन्द्र कुशवाहा

अबैध शराब विक्रय/परिवहन/निष्कर्षण के विरुध्द की गयी कार्यवाही-

थाना पटहेरवा-

थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा **1 नफर अभियुक्त** वीरु गौंड़ पुत्र रामानन्द गौंड़ सा0 अहिरौली थाना बघौचघाट जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर अबैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0 320/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वांरटियों की गिरफ्तारी- (कुल-4)

थाना जटहाँ बाजार-

थाना जटहाँ बाजार पुलिस द्वारा **1 नफर वांरटी** 1. विश्वनाथ पुत्र गुलाब सा0 कटाई भरपुरवा थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0नं0 439/14 धारा 326,201 भादवि में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-**

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा **09 नफर अभियुक्तों** को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

- **कार्यवाही एक नजर में =**

1- मोटर वाहन अधिनियम में कुल की गयी कार्यवाही वाहन सीज-02 कुल वाहन-30 से शमन शुल्क-रु0 12800/-
2- वांछितों की गिरफ्तारी-(कुल-02)
3- वारंटी की गिरफ्तारी- (कुल-01)
4- पुरस्कार घोषित अपराधी की गिरफ्तारी-(कुल-01)
5- आबकारी अधिनिय में की गयी कार्यवाही मु0-01,व्यक्ति-01, बरामदगी -10 लीटर अवैध कच्ची शराब।
6- जनपद में कुल गिरफ्तारी –(कुल-14)।

मीडिया सेल
कुशीनगर।